NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

FAM No. 104 of 2018

- Amanpreet Singh Ghanjal S/o Makhan Singh Ghanjal Aged About 30 Years R/o Darri Road, Korba, District Korba, Chhattisgarh, Pin 495677, Mob. No. 9179644699.

---- Appellant

Versus

- Smt. Harkamalpreet Kaur @ Nancy Johal W/o Amanpreet Singh Ghanjal D/o Harbindar Singh Johal, Mother Smt. Kamaldeep Kaur, R/o Moga, District Moga (Punjab) At Present R/o Flat No. 502, 5th Floor, The Springas Co-Operative Housing Society Ltd., Taloja Link Road, Kalamboli, Plot No. 04, Sector-20, Roadpali, Mavi Mumbai, Pin 410218 (Maharashtra) Mob. 9009817087, Email-johalnancy353@gmail.Com Johalbismal1995@gmail.Com, ---- **Respondent**

For the Appellant	:-	Shri H.S. Ahluwalia, Advocate
For the Respondent	:-	Shri Vivek Shrivastava, Advocate

Hon'ble Shri Justice Prashant Kumar Mishra
Hon'ble Smt. Justice Vimla Singh Kapoor,

Order on Board By

Prashant Kumar Mishra, J.

15.02.2019

1. At the very outset, Learned Counsel for the parties would seek permission of the Court to withdraw I.A. No. 03/2019 filed u/s 13 (B) of the Hindu Marriage Act, 1955 on 14.02.2019. On due consideration, the application is dismissed as withdrawn.

2. With our permission learned Counsel for the parties have filed fresh application u/s 13 (B) of the Hindu Marriage Act, 1955. Heard both the counsels on I.A. No. 04/2019 u/s 13 (B) of the Hindu Marriage Act, 1955. We have also heard both the parties who are present today.

3. The parties were married at Moga (Punjab). However, before filling of the suit they last resided together at Korba (C.G).

Appellant's suit for grant of decree of divorce has been dismissed by the trial Court. Now, the parties have settled their dispute and entered into a settlement by way a Memorandum of Understanding to seek a decree for divorce by mutual consent. The appellant resides at Korba whereas the respondent is a resident of Mumbai. The parties are present today. Since they are living apart for last more than a year and there being no possibility of their joining together to pull on their matrimonial chord, we deem it appropriate to waive the cooling period of six months and allow the application for grant of divorce by mutual consent.

4. For the facility of reference the terms of settlement between the parties is reproduced hereunder:-

> "01. यह कि विवाह के पश्चात् उभयपक्ष के मध्य एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप करने के कारण अब उनका दाम्पत्य जीवन एक साथ व्यतीत करना संभव नहीं है । उभयपक्ष के रिश्ते–नातेदारों के द्वारा किये गए प्रयास के बावजूद उभयपक्ष का एक साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करना असंभव हो गया है ।
>
> 02. यह कि प्रथमपक्ष के द्वारा द्वितीयपक्ष के मुंबई मायके चले जाने के बाद कोरबा के कुटुम्ब न्यायालय में विवाह–विच्छेद हेतु धारा 13 (1) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत् याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें नोटिस प्राप्त होने के बावजूद द्वितीयपक्ष के प्रकरण में उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए याचिका निरस्त कर दी गई, जिसके विरूद्ध प्रथमपक्ष के द्वारा माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें न्यायालय के द्वारा द्वितीयपक्ष को नोटिस जारी किया जा चुका है ।
>
> 03. यह कि द्वितीयपक्ष के द्वारा माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष विचाराधीन अपील प्रकरण में उपस्थित होकर हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(बी) के

तहत् परस्पर सहमति के आधार पर विवाह–विघटित कराये जाने हेतु याचिका प्रस्तुत की जाएगी, जिस पर प्रथमपक्ष के द्वारा अपनी सहमति प्रदान कर उस पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा ।

04. यह कि चूँकि उभयपक्ष विगत डेढ़ वर्षों से एक–दूसरे से पृथक–पृथक निवास कर रहे हैं, उनके बीच दाम्पत्य–साहचर्य संबंध इस अवधि में स्थापित नहीं हुआ है तथा वैवाहिक जीवन बरकरार रखने हेतु सारे प्रयास विफल हो चुके हैं, इसलिये उभयपक्ष के द्वारा न्यायालय से नियमानुसार परस्पर सहमति के आधार पर विवाह–विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र सहमति से निर्णय लिया गया है ।

05. यह कि द्वितीयपक्ष के आधिपत्य के समस्त वस्त्र–आभूषण, जिसमें हीरे का हार व कान में पहने जाने वाला बाली/इयररिंग 01 सेट, सोने की बाली/इयररिंग 01 सेट, सोने का हार व कान में पहने जाने वाला बाली/इयररिंग 01 सेट, सोने की कान में पहने जाने वाली स्टड 01 सेट, द्वितीयपक्ष के द्वारा विवाह पर उपहार स्वरूप प्रथमपक्ष को दी गई सगाई की हीरे की अंगूठी, सोने की चेन, सोने की अंगूठी 01 नग तथा इसके अतिरिक्त समस्त बनावटी (आर्टिफिशियल) आभूषण, द्वितीयपक्ष के पैरों में पहनने वाले समस्त जूते–चप्पल तथा समस्त वस्त्र जिसमें सलवार–सूट, जींस–टॉप, एवं साडियां आदि सम्मिलित है तथा इसके अलावा द्वितीयपक्ष के बैग व सूटकेसेज को प्रथमपक्ष के द्वारा उसे वापस कर दिया गया है ।

06. यह कि प्रथमपक्ष के द्वारा द्वितीयपक्ष को आजीवन भरण–पोषण राशि के रूप में 15,00,000/– (पन्द्रह लाख) रूपए दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे द्वितीयपक्ष के द्वारा सहर्श स्वीकार कर लिया गया है । उक्त राशि में से 10,00,000/– (दस लाख) रूपए की राशि इस इकरारनामा के निष्पादान के समय द्वितीयपक्ष के नाम से अथार्त् हरकमलप्रीत कौर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक–949134 दिनांकित–22/01/2019 के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है, उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–कोरबा के द्वारा जारी किया गया है, जो भारतीय स्टेट बैंक की नवी मुम्बई शाखा में भुगतान योग्य है, जिसे

द्वितीयपक्ष के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है । शेष 5,00,000/– (पांच लाख) रूपए को प्रथमपक्ष के द्वारा द्वितीयपक्ष को माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष उपर्युक्त धारा 13 (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत् याचिका प्रस्तुत करने के बाद विवाह–विच्छेद की डिक्री प्रदान करने के तत्काल बाद भुगतान कर दिया जाएगा ।

07. यह कि प्रथमपक्ष से द्वितीयपक्ष के द्वारा उक्त आजीवन भरण–पोषण राशि प्राप्त होने के पश्चात् किसी प्रकार से अन्य किसी राशि के संबंध में अथवा आवासीय मकान आदि अथवा अन्य किसी प्रकार की धनराशि का भविष्य में दावा नहीं किया जाएगा ।

08. यह कि द्वितीयपक्ष के द्वारा प्रथमपक्ष के विरूद्ध मुम्बई नगर अथवा अन्य किसी नगर में स्थित न्यायालय में कोई घरेलू हिंसा अथवा भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया होगा, तो उसे तत्काल समाप्त करा लिया जाएगा तथा उभयपक्ष विवाह–विच्छेद के पश्चात् अपना विवाह अन्य व्यक्ति के साथ करने हेतु स्वतंत्र होंगे ।

09. यह किस इस परस्पर सहमति से विवाह–विच्छेद हेतु निष्पादित इकरारनामा के निष्पादन के पश्चात् उभयपक्ष के द्वारा किसी भी न्यायालय में एक–दूसरे के विरूद्ध भविष्य में कोई दावा–प्रतिदावा नहीं किया जाएगा ।"

5. Respondent Harkamalpreet Kaur @ Nancy Johal would state that as she has already received the amount of Rs. 15 lac vide two separate TDRs for Rs. 10 lac and Rs. 5 lac respectively. Both the parties would state that they shall abide by all the terms and conditions mentioned in the Memorandum of Understanding.

6. In view of the above, prayer for grant of decree of divorce by mutual consent is allowed. A decree of divorce by mutual consent be prepared in terms of settlement contained in para 1 to 9 of the MoU dated 11.01.2019.

7. Appeal stands disposed of in the above stated terms. No order as to cost.

8. The original Memorandum of Understanding filed along with the application u/s 13 (B) shall be returned to appellant Amanpreet Singh Ghanjal after retaining xerox copy thereof.

Sd/-
Judge
Prashant Kumar Mishra

Sd/-
Judge
Vimla Singh Kapoor

Pawan/Rahul